# प्रेस–विज्ञप्ति
# राजस्व विभाग, उ0प्र0
# लेखपाल भर्ती परीक्षा–2015

जनपद का नाम–बलिया
विज्ञापन संख्या 64(S)/भूलेख

परीक्षा का नामः लेखपाल राजस्व
दिनांक जुलाई 03,2015

आवेदन पत्र स्वीकार (**SUBMIT**) किये जाने की अंतिम तिथि–**22 जुलाई, 2015**
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि– **21 जुलाई, 2015**

प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा लेखपाल के पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। लिखित परीक्षा दिनांक 30.08. 2015 को किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के समय तथा स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रहेगा, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा आन लाइन प्राप्त किया जा सकता है।

## रिक्तियों का विवरण

| कम | पदनाम | दिनांक 01–07–2015 को आयु | वेतनमान | कुल रिक्त पदों की संख्या | अनारक्षित | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछडी जाति | पद हेतु शैक्षिक अर्हता | पद हेतु अधिमानी अर्हता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | लेखपाल | न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष | रू0 5200–20200(ग्रेड पे–2000) | 344 | 196 | 63 | 05 | 80 | माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 की इण्टरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण | 1– प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2–राष्ट्रीय कैडेट कोर का ,,बी,, प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |

1.लेखपाल पदों की भर्ती उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित 2014 एवं समय समय पर जारी किये गये शासनादेश एवं परिषदादेश के अनुसार लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

2.दिनांक 01.07.2015 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य हैं साथ ही उक्त दिनांक को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली–1972 यथा संशोधित 2012 एवं वर्तमान में प्रभावी नियमों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार छूट प्रदान की जायेगी। रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग, के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिको, उ0प्र0 समाज के विकलांगो तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

3.ऑन–लाइन फार्म दिनांक 22.7.2015 तक जमा किये जा सकेगें। अनारक्षित (सामान्य) और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियो से रू0 300/–(+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियो को रू0 150/–(+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क ई–चालान के माध्यम से जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा, जिसका उल्लेख ऑन–लाइन आवेदन प्रपत्र पर किया जायेगा।

4.प्रदेश के सभी जनपदों में परिषद द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नही होगा तथा इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नही होगा।

5.परीक्षा वस्तुनिष्ठ 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा, परीक्षा संबंधी जानकारी के संबंध में तिथि,समय और परीक्षा एवं साक्षात्कार के आयोजन स्थल उम्मीदवारों को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियो द्वारा डाउनलोड किया जायेगा, जो कि परिषद की बेबसाइट **http://bor.up.nic.in** और जिले की बेबसाइट **www.ballia.nic.in** पर उपलब्ध होगा।

6.ऑन–लाइन आवेदन का प्रारूप, आफ लाइन परीक्षा संबंधी निर्देश अन्य सामान्य निर्देश एवं परीक्षा संबंधी अन्य प्रसांगिक जानकारी व सम्पूर्ण विवरण परिषद के बेबसाइट **http://bor.up.nic.in** पर और जिले की बेबसाइट **www.ballia.nic.in** पर उपलब्ध होगा ।

7.लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 18.06.2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क/फार्म स्वीकार (submit) किये जा चुके हैं उन अभ्यर्थियों द्वारा पुनः परीक्षा शुल्क/फार्म नहीं भरे जायेंगे। उनका अभ्यर्थन इस नयी विज्ञप्ति के लिए भी मान्य होगा।

अध्यक्ष,चयन समिति/जिलाधिकारी,
बलिया।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद अनुभाग–4 लखनऊ की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– आयुक्त आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

3– सहायक निदेशक सूचना बलिया को इस निर्देश से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्र अमर उजाला व दैनिक जागरण के उ0प्र0 संस्करण में दिनांक 04.07.2015 के पूर्व कराकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

4– विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण वाराणसी एवं विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने–2 समाचार पत्र के उ0प्र0 संस्करण में दिनांक 4.7.2015 को प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बलिया को उक्त प्रेस विज्ञप्ति जिले की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6– नाजिर सदर बलिया को कलेक्ट्रेट की सूचना पट पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,चयन समिति/जिलाधिकारी,
बलिया।